

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2018/ 2482

दिनांक: 14/02/18

M/s Prime Time Communications
A-4 (Commercial), 2nd Floor,
Inderpuri, New Delhi-110012

विषय:- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित बसों के बैक पैनेल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर स्वच्छ भारत मिशन के विज्ञापन प्रदर्शन हेतु कार्यादेश के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित 2000 ब्ल्यू लाईन साधारण एवं द्रुतगामी संचालित बसों के बैक पैनेल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छ सर्वेक्षण - 2018 के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन का प्रदर्शन कराया जाना है।

Directorate of Advertising & Visual Publicity (Ministry of Information & Broadcasting)
New Delhi द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1/25/14-15/OP-II दिनांक 22.05.2017 द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों विज्ञापन प्रदर्शन हेतु आपकी फर्म को अधिकृत किया जाकर प्रतिमाह निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैं:-


Media/Location	Quantity	Size of Panels (in ft)	Approved Rate*	Validity
Bus Back Panel in RSRTC Buses, Rajasthan	3700 Blue Line Ordinary and Express Buses	4' X2.5'	Rs. 1800/- per Panel per Month	Upto 31.01.2020

- Vinyl printing charges extra at prevailing DAVP rate i.e. Rs. 16/- per sqft.
- Panel fixing charge extra at prevailing DAVP rate i.e. Rs. 100/- per Panel one time.
- Service tax extra, as applicable. (वर्तमान में GST लागू)

उपरोक्तानुसार DAVP में सूचीबद्ध आपकी फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 23.01.2018 को विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आप उक्तानुसार सलंगन अनुमोदित डिजाईन के अनुसार DAVP दरों पर दिनांक 15.02.2018 से 14.05.2018 तक तीन माह तक निम्न शर्तों के अध्याधीन कार्य प्रारम्भ कर उक्तानुसार 2000 बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करें।

1. प्रस्तावित विज्ञापन प्रदर्शन हेतु DAVP द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तें लागू होंगी।
2. विनायल पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

3. बसों पर लगाये गये विनायल का भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के डिपो के प्रबंधक (संचालन) से प्रमाणित कराकर प्रत्येक बस के फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित भुगतान हेतु बिल निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
4. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 15.02.2018 से विज्ञापन प्रदर्शित किया जावेगा तथा अनुमोदित डिजाईन में परिवर्तन होने की स्थिति में फर्म को लिखे गये पत्र के 7 दिवस में आवश्यक रूप से कार्य सम्पादित किया जाना होगा।
5. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
6. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी, जिसके लिए निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एव Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
7. RTPP Act 2012/Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
8. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
9. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।


(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 12/2/2018

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2018/2483-2689

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
7. आयुक्त./अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।


जनसम्पर्क अधिकारी